न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी—श्री मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30 / 2016	26.05.2016	19.12.2017

चिरंजी पुत्र बुद्धा, जाति खारवाल निवासी रामसिंहपुरा, तहसील बजीरपुर —मृतक
1 / 1 बच्चूसिंह पुत्र बुद्धा, जाति खारवाल निवासी रामसिंहपुरा, तहसील बजीरपुर
1 / 2 परभाती पत्नी घीस्या पुत्री चिरंजी, खारवाल निवासी जियापुर, तहसील गंगापुर सिटी
—वादीगण

बनाम

गिरधारी पुत्र बद्रीलाल जाति खारवाल निवासी आस्टोली —प्रतिवादी

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हुकमसिंह गुर्जर , एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय **दिनांक—19.12.2017**

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नंबर 79 रकबा 4.25 हेक्टर ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बजीरपुर में स्थित है। वादी अपने हिस्से पर काश्त कर उपयोग एवं उपभोग से लाभान्वित चला आ रहा है। वादी दिनांक 24.04.2016 को जब अपनी भूमि की सार सम्हाल कर रहा था तो प्रतिवादी ने वादी को धमकाते हुए कहा कि इस खेत से तुम अपना कब्जा हटा लो। इस वर्ष में इस खेत पर काश्त करूंगा। इस पर वादी ने मौके पर ही आपत्ति की व कहा कि यह भूमि मेरी खातेदारी की है व आप कौन हाते हो यहॉ काश्त करने वाले। इस पर प्रतिवादी आवेशित हो गया व वादी को धमकाते हुए कहा कि मुझे ज्यादा कानून मत बता मैं तो इस खेत पर तुझे काश्त नहीं करने दूंगा। इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो कि कानून कायदे में विश्वास नहीं रखता है। प्रतिवादी अपनी बेजा हरकतों से जब तक बाज नहीं आवेगा जब तक कि उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी को उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 79 रकबा 4.25 हेक्टर ग्राम रामसिंहपुरा में वादी के हिस्से कब्जे काश्त में कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावें, वादी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 व नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 पेश किये एवं बयान वादी बच्चूसिंह व परभाती करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वाद वादी डिक्री करने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार खसरा नंबर 79 रकबा 4.25 हेक्टर ग्राम रामसिंहपुरा चिरंजी पुत्र बुद्धा हि015 बीघा राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंगापुर सिटी मुर्त0 कल्ला पुत्र गंगाधर हि0 3 बीघा 16 विस्वा खारवाल सा0 कमालपुर के नाम दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। प्रतिवादी गिरधारी पुत्र बद्रीलाल का इस भूमि से कोई संबंध वास्ता नहीं है। वैसे भी प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आया है। हमारी विनम्र राय में एक रिकार्डेड खातेदार के वारिसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा पहुॅचाने का अधिकार नहीं है। इसलिए वाद वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी गिरधारी पुत्र बद्रीलाल, जाति खारवाल निवासी आस्टोली को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को खसरा नंबर 79 रकबा 4.25 हेक्टर ग्राम रामसिंहपुरा के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही वादी को उसकी भूमि से बेदखल करें। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर **मुकाम** गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

चिरंजी पुत्र बुद्धा, जाति खारवाल निवासी रामसिंहपुरा, तहसील बजीरपुर —मृतक
1/1 बच्चूसिंह पुत्र बुद्धा, जाति खारवाल निवासी रामसिंहपुरा, तहसील बजीरपुर
1/2 परभाती पत्नी घीस्या पुत्री चिरंजी, खारवाल निवासी जियापुर, तहसील गंगापुर सिटी
—वादीगण

बनाम

गिरधारी पुत्र बद्रीलाल जाति खारवाल निवासी आस्टोली —प्रतिवादी

<u>दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. —30/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई — मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है** कि वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी गिरधारी पुत्र बद्रीलाल, जाति खारवाल निवासी आस्टोली को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को खसरा नंबर 79 रकबा 4.25 हेक्टर ग्राम रामसिंहपुरा के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही वादी को उसकी भूमि से बेदखल करें।

पर्चा डिक्री अज दिनांक—19.12.2017 को जारी किया गया।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		